सं. 19030/2/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

***

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की होटल आवास/अतिथि गृह की निर्धारित हकदारी पर करों/जीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इस विभाग के 13.7.2017 के का. ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के अनुबंध के पैरा 2 ङ (i) में यथा उल्लिखित होटल आवास/अतिथि गृह की निर्धारित हकदारी पर करों/जीएसटी की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

2. विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त का. ज्ञा. के पैरा 2 ङ (i) में यथा उल्लिखित होटल आवास/अतिथि गृह के संबंध में निर्धारित हकदारी में **सभी कर/जीएसटी शामिल नहीं हैं** और निर्धारित हकदारी के अतिरिक्त इन करों/जीएसटी की सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जीएसटी की प्रतिपूर्ति की गणना, केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा अपनी निर्धारित हकदारी के अंदर भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों पर की जाएगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।